

बिहार विधान सभा के लिए निवेदन

<p>श्री रामानंद यादव, स0वि0स0 से दिनांक -28.03.2012 को प्राप्त निवेदन सं0-1257/12 के संबंध में</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>निवेदन</p>	<p>उत्तर</p>
<p>बाढ़ के समय यातायात परिचालन एवं बाढ़ सहाय कार्य संचालन हेतु निजी नावें भाड़ा पर ली जाती हैं । सरकारी एवं भाड़े पर लिये नावों के परिचालन हेतु दैनिक मजदूरी पर नाविकों की बहाली अंचल द्वारा प्रति वर्ष की जाती है । सुपौल जिला के बाढ़ प्रभावित अंचल में निजी नाव मालिकों की नाव भाड़े पर बहाल मल्लाहों का दैनिक मजदूरी भुगतान वर्ष 1988 से लम्बित रहने के कारण नाव मालिक एवं नाविक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं । अतः नाव मालिकों का भाड़ा एवं गरीब मल्लाहों का दैनिक मजदूरी भुगतान करने हेतु सरकार से निवेदन करता हूँ ।</p>	<p>जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदन (पत्रांक -122-2 दिनांक -5.02.2014 के अनुसार वर्ष 1988 में बाढ़ के समय यातायात परिचालन एवं बाढ़ साहाय्य कार्य संचालन हेतु भाड़े पर ली गई नावों एवं इसपर कार्यरत नाविकों के बकाये भाड़ा एवं परिश्रमिक राशि का भुगतान कर दिया गया है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि0स0नि0-99/2012/...../आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक -3021 दिनांक -18.06.2012 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि0स0नि0-99/2012/.....⁷²⁹...../आ0प्र0, पटना-15, दि0- 25/2/14.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी